न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 15 / 2016 / जैसलमेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

दीपककुमार पुत्र स्व तिलोकचंद **बनाम** 1.स्व. फतेहचंद का मु. कन्हैयालाल

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम

उपस्थित

1. वकील श्री मोहम्मद अली अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री दानसिंह मेहता रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांकः– 18.10.2019

अपीलांअ द्वारा धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट का पिता तिलोकंचद पुत्र भोजराज बड़ोदा गुजरात में काफी अरसे से वाहन चलाकर अपनी आजीविका करता था और वहां पर सन् 1977 से वर्ष 1982 तक टी.बी. व स्वास रोग से ग्रसित था और उठने बैठने की श्रद्धा नहीं थी और दिनांक 05.10.1982 जेरे इलाज उनका निधन बड़ोदा में हो गया था। इसलिए उक्त समयावधि में अपने पैतृक गांव नहीं आया और न ही अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ही हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन दिनांक 21.09.1981 दो मौतविरों के रूबरू आबाद मकान पर चस्पा होने का उल्लेख कर न्यायालय हाजा में वापिस भिजवाया गया। पटवारी हल्का ने अपीलांट व प्रार्थी को 1/7 हिस्सा रेकर्ड में होना दर्शाया जिस पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.05.2016 को नकल हेतु कार्यवाही की जो उसे दिनांक 31.05.2016 को निर्णय की प्रति प्राप्त हुई इस पर अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी प्राप्त हुई तथा वास्तविक जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की गई। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है उसे क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner

गुणावगुण के आधार निर्णय फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2005(1) Page 588
DNJ(SC) 2017 Page 928
CCC (SC) 2012(2) Page 747
CCC 2012(1) Page 225
CCC 2011(1) Page 368

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र पर अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रतिवादी की तरफ से वकील श्री त्रिभुवन उपस्थित हुए तथा उनकी उपस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट ने अपने आवेदन में यह कहीं पर भी नहीं दर्शाया है कि उसे तकरीबनन 39 वर्षों तक आलोच्य आदेश का ज्ञान कैसे नहीं हुआ? जबकि कानूनन अपीलांट को प्रत्येक दिन के विलम्ब का संतोषजनक जबाव दिया जाना आवश्यक है। अपीलांट द्वारा 39 वर्षों बाद मात्र रेस्पोडेंट को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से अपीलाधीन निर्णय का पूर्ण ज्ञान होने के बावजूद भी अपील 39 वर्षों के अकारण सुदीर्घ विलम्ब से पेश की गई है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

DNJ(SC) 2012 Page 517
DNJ(Raj.) 2012(1) Page 196

अतः अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से लिमिटेशन के आधार पर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष को आवेदन प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। निर्णय के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साबित करते है कि अपीलांट को निर्णय की जानकारी अपील पेश करने से पूर्व भी थी। प्रतिवादीगण श्री सालगराम व श्री तिलोकचंद पुत्रान भोजराज ने अधीनस्थ न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थिति होकर दिनांक 22.10.1981 को इकबाली जबाबदावा पेश

Scanned by CamScanner

किया गया। प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश इकबाली जबाबदावा के आधार पर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। यदि अपीलांट के साथ किसी प्रकार का छल हुआ है तो सक्षम स्तर पर चाराजोही करे। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपीलें तकरीबन 39 वर्षों बाद पेश की गई तथा विलम्ब के लिए अपीलांट पक्ष के द्वारा बताये कारण इसके शमन के लिए पर्याप्त एवं समुचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के मध्यनजर अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपीलें मियाद बाहर होने से इसी स्टेज पर खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व वाद संख्या क्रमशः 199/1981 बअनवान कन्हैयालाल बनाम सालगाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.1981 को यथावत रखा जाता है।

18/10/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 18.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/10/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner